



Neutral Citation No. - 2026:AHC:8558

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 237 सन् 2026

कांस्टेबल किशन यादव

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता :

मुकुल यादव, राजेश यादव

प्रत्यर्थागण के अधिवक्ता :

सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मुकुल यादव और राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री अवधेश कुमार शुक्ला को सुना।
- इस रिट याचिका में प्रार्थना की गई है कि द्वितीय प्रत्यर्था- पुलिस महानिरीक्षक, प्रयागराज जोन, प्रयागराज को निर्देश दिया जाए कि वे रिट याचिकाकर्ता की दिनांक 28.06.2023 की अपील पर निर्णय करें।
- विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. बार में प्रस्तुत दलीलों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 2 को निर्देश दिया जाता है कि यदि अपील पर अभी तक निर्णय नहीं हुआ है, तो वह याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील पर दो महीने की अवधि के भीतर निर्णय ले।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

13 जनवरी, 2026

एन.एस.राठौर